

नगर परिषद, अजमेर

होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई व पान आदि की दुकान के लिये अनुज्ञा प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र
देखिये उपविधि 4(1)

प्रपत्र - 1

प्रति

अनुज्ञापत्र अधिकारी

नगर परिषद अजमेर

(राजस्थान)

(1) मैं/हम(नाम) क्रमांक
सुपुत्र वर्ष
निवास का पता वार्ड क्र. उम्र
प्रतिष्ठान का नाम फोन.नं.
प्रतिष्ठान का पता.....

नोट:-यदि भागीदार एवं प्रबन्धक एक से ज्यादा हो तो उनके नाम एवं पते पीछे पृष्ठ पर लिखें
एतद द्वारा नगर परिषद, अजमेर की सीमा में (होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकान के नियमन विषयक)उपविधियाँ 1973 के अन्तर्गत निर्मित उप नियमों के अधीन
का नगर निगम/परिषद की सीमाओं के भीतर में
स्थित परिसर में नीचे उल्लेखित पदार्थों का विक्रयार्थ निर्माण करने के लिए/संग्रह करने के लिये/विक्रय करने के लिए/वितरण करने के लिये आवेदन करता हूँ /करते हैं।
(2) इस आवेदन से क्या एक ही नाम से एक से ज्यादा लाईसेंस प्रार्थनीय है। हाँ नहीं
(3) यदि हाँ तो अपना छतवनच पक लिखे (यदि कोई हो तो)
(4) पदार्थ वर्ग जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाप्ति प्रार्थनीय है।

व्यवसाय किस चीज/वस्तु का है	कोड नं.	लाईसेंस शुल्क
1.		
2.		
3.		
	विलम्ब शुल्क	
	अन्य शुल्क	
	कुल योग	

गृहकर सर्विस क्र.

लीज सर्विस क्र.

- (5) अतः निवेदन हैं कि मुझे/हमें कृपया पत्र जारी करावें। मैं/हम प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि नगर परिषद, अजमेर(होटल, रेस्टोरेन्ट, बेकरी, मिठाई, पान आदि की दुकानों के नियंत्रण व नियमन विषयक) उपविधियाँ 1973 प्रावधित प्रावधानों से आवद्ध रहूँगा/रहेंगे तथा उनका पूर्णरूपेण पालन करूँगा/करेंगे। मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी असत्य पाई जाने पर दिया जाने वाला लाईसेंस स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
- (6) अनुसूची के अनुसार अनुज्ञाप्ति की फीस के रूप में रूपये अक्षरे रूपये जमा कर दिये हैं।
- (7) पुर्व का रजिस्ट्रेशन नं.(यदि कोई हो तो)
- (8) अवधि से तक
- (9) मैं अपने प्रतिष्ठान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पोलिथीन थैलियों का उपयोग करूँगा।
- (10) मैं अपने प्रतिष्ठान का कचरा कचरा पात्र में रखूँगा, जिसे नगर परिषद सफाई कर्मचारी को दूरा/देंगे, सड़क पर नहीं डालूँगा।
- (11) उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर नगर परिषद कानूनी कार्यवाही कर सकती है/मेरा लाईसेंस निरस्त कर सकती है।
- (12) यह लाईसेंस मात्र खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु जारी किया गया है, इसका उपयोग दुकानदार/मालिक के मध्य किसी वाद के लिए मान्य नहीं होगा।
- (13) दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर मेरा लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
- (14) गृहकर की बकाया राशि रूपये का भुगतान सर्विस क्रमांक दिनांक द्वारा किया गया।

- नोट:-
- एक से अधिक वस्तु के व्यापार की स्थिति में समस्त वस्तुओं का वितरण आवेदन पत्र के पेरा-4 पर अलग अलग लिखे।
 - रसीद संभालकर रखें रसीद प्रस्तुत कर 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से लाईसेंस प्राप्त कर लें।
 - लाईसेंस फीस जमा कराने से ही लाईसेंसदिया जावेगा।
 - ओरिजनल रसीद प्रस्तुत करने से ही लाईसेंस का अस्तित्व नहीं माना जावेगा।
 - व्यवसाय बंद होने पर 15 दिवस के अन्दर मूल लाईसेंस परिषद कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
 - गृहकर की रसीद संलग्न करें।
 - लीज की रसीद संलग्न करें।
 - आवेदनकर्ता गतवर्ष की रसीद की फोटो प्रति भी संलग्न करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

नगर परिषद, अजमेर

खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/भंडार व वितरण के लिये अनुज्ञापत्र हेतु प्रार्थना—पत्र
देखिये अधिनियम 6

प्रपत्र — ‘ ’

प्रति

अनुज्ञापत्र अधिकारी
नगर परिषद अजमेर
(राजस्थान)

क्रमांक
वर्ष
वार्ड क्र.

- (1) मैं/हम(नाम) उम्र
 सुपुत्र
 निवास का पता
 प्रतिष्ठान का नाम फोन.नं.
 प्रतिष्ठान का पता

नोट—यदि भागीदार एवं प्रबन्धक एक से ज्यादा हो तो उनके नाम एवं पते पीछे पृष्ठ पर अंकित करें
 एतद् द्वारा नगर निगम/परिषद विधान नियम 7 रूल 50 एवं प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एकट 1954 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अन्तर्गत निर्मित उप नियमों के अधीन
 को नगर निगम/परिषद की सीमाओं के भीतर में
 स्थित परिसर में नीचे उल्लेखित पदार्थों का विक्रयार्थ निर्माण करने के लिए/संग्रह करने के लिये/विक्रय करने के लिए/वितरण करने के लिये आवेदन करता हूँ/करते हैं।

- (2) इस आवेदन से क्या एक ही नाम से एक से ज्यादा लाईसेंस प्रार्थनीय है। हाँ नहीं
 (3) यदि हाँ तो अपना छतवनच पक लिखे (यदि कोई हो तो)
 (4) पदार्थ वर्ग जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञाप्ति प्रार्थनीय है।

व्यवसाय किस चीज/वस्तु का है	कोड नं.	लाईसेंस शुल्क
1.		
2.		
3.		
	विलम्ब शुल्क	
	अन्य शुल्क	
	कुल योग	

गृहकर सर्विस क्र. लीज सर्विस क्र.

- (5) मैंने/हमने नगर पालिका/परिषद विधान नियम 7 रूल 50 एवं प्रिवेन्शन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एकट 1954 (खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954) को पढ़ लिया है। मैं/हम उनका पालन करूंगा/करेंगे। पूर्वांतर व्यापार अनुज्ञाप्ति द्वारा रोपित किये गये निबन्धों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए मैं/हम करूंगा/करेंगे। मेरे/हमारे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी असत्य पाई जाने पर दिया जाने वाला लाईसेंस स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 (6) अनुसूची के अनुसार अनुज्ञाप्ति की फीस के रूप में रूपये अक्षरे रूपये जमा कर दिये हैं।
 (7) पुर्व का रजिस्ट्रेशन नं.(यदि कोई हो तो)
 (8) अवधि से तक
 (9) मैं अपने प्रतिष्ठान में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पोलिथीन थैलियों का उपयोग करूंगा।
 (10) मैं अपने प्रतिष्ठान का कचरा कचरा पात्र में रखूंगा, जिसे नगर परिषद सफाई कर्मचारी को दूंगा/देंगे, सड़क पर नहीं डालूंगा।
 (11) उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने पर नगर परिषद कानूनी कार्यवाही कर सकती है।/मेरा लाईसेंस निरस्त कर सकती है।
 (12) यह लाईसेंस मात्र खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु जारी किया गया है, इसका उपयोग दुकानदार/मालिक के मध्य किसी वाद के लिए मान्य नहीं होगा।
 (13) दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण मेरे द्वारा नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर मेरा लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।
 (14) गृहकर की बकाया राशि रूपये का भुगतान सर्विस क्रमांक दिनांक द्वारा किया गया।

नोट—

- एक से अधिक वस्तु के व्यापार की स्थिति में समस्त वस्तुओं का वितरण आवेदन पत्र के पैरा—4 पर अलग अलग लिखे।
- रसीद संभालकर रखें रसीद प्रस्तुत कर 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से लाईसेंस प्राप्त कर लेवे।
- ताईसेंस फीस जमा कराने के उपरान्त ही लाईसेंस दिया जायेगा।
- ओरिजनल रसीद प्रस्तुत करने से ही लाईसेंस का अस्तित्व नहीं माना जायेगा।
- व्यवसाय बंद होने पर 15 दिवस के अन्दर मूल लाईसेंस परिषद कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है।
- गृहकर की रसीद संलग्न करें।
- लीज की रसीद संलग्न करें।
- आवेदनकर्ता गतवर्ष की रसीद की फोटो प्रति भी संलग्न करें।

आवेदक के हस्ताक्षर

नगर परिषद, अजमेर

प्रपत्र ‘,’

(अधिनियम 6 देखें)

खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/भंडार व वितरण के लिये अनुज्ञापत्र हेतु प्रार्थना-पत्र

मैं/हम निवासी म.नं. ए.एम.

स्त्री. मौहल्ला

व्यवसाय निम्नलिखित खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/भंडार व वितरण के अनुज्ञापत्र के
लिये प्रार्थना करता हूँ/करते हैं।

और मैं/हम प्रतिज्ञा करता हूँ/करते हैं कि तत अनुज्ञापत्र सम्बन्धित आवश्यक नियम व शर्तों का पालन करता रहूँगा/करते
रहेंगे।

दिनांक

हस्ताक्षर

पूर्ण पता

दुकान का ए.एम.सी.

मौहल्ला